CHAPTER – VI
DEMANDS AND RECOVERY

Section 12 : Tax wrongfully collected and paid to Central Government or Union territory Government

(1) A registered person who has paid the central tax and the Union territory tax on a transaction considered by him to be an intra-State supply, but which is subsequently held to be an inter-State supply, shall be refunded the amount of taxes so paid in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

(2) A registered person who has paid integrated tax on a transaction considered by him to be an inter-State supply, but which is subsequently held to be an intra-State supply, shall not be required to pay any interest on the amount of the central tax and the Union territory tax payable.

अध्याय 6
मांग और वसूली

धारा 12 : कर का गलत तौर पर संग्रहण और केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार को संदाय

(1) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जिसने, किसी ऐसे संव्यहार पर, केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय किया है जो उसके द्वारा एक अन्तरराज्यीय प्रदाय माना गया है, किन्तु जिसे तत्पश्चात् अन्तरराज्यीय प्रदाय धारित किया जाता है, इस प्रकार संदत्त की गई करों की रकम का, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से जिसने, किसी ऐसे संव्यवहार पर, एकीकृत कर का संदाय किया है जो उसके द्वारा एक अन्तरराज्यिक प्रदाय माना गया है, किन्तु जिसे तत्पश्चात् अन्तरराज्यिक प्रदाय धारित किया जाता है, संदेय केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर की रकम पर किसी ब्याज के संदाय की अपेक्षा नहीं होगी।